सूचना के अधिकार 2005 से संबधित प्रपत्र को पुर्ण करना

बिन्दु कमांक 12

योजनाएॅः–

1. ग्रमीणः–

(1) ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ग्रामीण गतिवंधित एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)
(2) नलजल योजनाएं (अपेक्षाकृत बडे ग्रामों हेतु)
(3) स्थल जलप्रदाय योंजनाएं
(4) ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था ।
(5) मार्ग आधारित जनभागीदारी के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन (स्वजलधारा कार्यक्रम)
(6) समग्र स्वच्छता अभियान

2 नगरीय :–

(1) सामान्य शहरीय जलप्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत योंजनाओं का क्रियान्वयन
(2) गतिवर्धित नगरीय जलप्रदाय कार्यक्रमों के अंतर्गत योंजनाओं का कयान्वयन
(3) शहरीय मल निकासी योंजनाओं का क्रियान्वयन
(4) राष्टीय नदी संरक्षक योजना कार्यक्रम

- नगरीय योजनाओं के कार्य स्थानीय निकायों की मार्ग पर विभाग व्दारा निक्षेप कार्य के रूप में किये जाते है।

कार्यक्रम	बेवसाइट
ग्रामीण पेयजल व्यवस्था	http://ddws.nic.in/data/arwsp/rwsp-guideline.htm
स्वजलधारा कार्यक्रम	www.ddws.nic.in
समग्र स्वच्छता अभियांन	www.ddws.nic.in
नगरीय पेयजल व्यवस्था	

ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं

ग्रामीण जल प्रदाय योंजनाओं के अंतर्गत निर्धारित मानक के अनुसार 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलप्रदाय का प्रावधान हैं ।

ग्रामीण जल प्रदाय योंजनाओं में 250 व्यक्तियों के लिए एक हैण्डपंप अथवा स्टैड पोस्ट स्थापित किये जाने का प्रावधान किया जाता है। यदि किसी स्वत्रंत बसाहट हेमलेट/बाडी/टोला/मंजरा/मोहल्ला आदि की जनसंख्या 250 व्यक्तियों सेकम है और इसमें पीने योग्य जल का स्त्रोत नही हैं , तो एक जलस्त्रोत उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान हैं।

20 परिवारों अथवा 100 व्यक्तियों , जी भी अधिक हो , की नियमित जनसंख्या वाली स्वच्छ पेयजल स्त्रोत रहित बसाहट को भी त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जल प्रदाय के लिए इकाई के रूप में मान्य किया गया है।

राज्य सरकार किसी भी बसाहट को उसके आकार /जनसंख्या /परिवारों की संख्या की गणना किए बना , न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की नधि से आच्छादित कर सकती है।

100 व्यक्तियों से कम जनसंख्या वाली अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वाली बसाहटों को भी त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत , प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना है।

समस्याग्रस्त बसाहटों का मापदण्ड

निम्न मापदण्ड वाली बसाहटों को सुरक्षित स्त्रोत विहीन बसाहट के रूप में वर्गीकृत किया जा ता हैं ।

(क) जहॉ सुरक्षित पेयजल स्त्रोत/मैदानी क्षेत्रो में बसाहट की 1.6किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत पहाडी क्षेत्रो में 100 मीटर उॅचाई के अंतर्गत स्थापित नही है। स्त्रोत सार्वजनिक अथवा निजी हो सकते है तथापि किसी निजी स्त्रोत से पेयजल लेने वाली बसाहटों को आच्छादित की गई तभी माना जा सकता है जब जल स्वच्छ , समुचित मात्रा और सभी की पहॅुच में हो ।

(ख) बसाहटें , जिनमें जल स्त्रोत हों किन्तु वे अधिक खारेंपन , लौह फलोराइट राखियां , अन्य टाविसक तल अथवा जैविक प्रदूषण जैसी गुणवत्ता की समस्याओं से प्रभावित हों ।

(ग) बसाहटों , जिनमें जल स्त्रोत से स्वच्छ जल की उपलब्धता की मात्रा , पीने और भोजन बनानें की आवश्यकता को पूरा करने के लिए , पर्याप्त नही हो ।

इसी प्रकार , गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें यदि वे पूर्व मानक के अनुसार पूरी तरह आच्छादित की भी गई हो , को असुरक्षित स्त्राोत की बसाहट माना जाएगा यदि पीनें और भोजन पकानें के उद्देश्य के लिए न्यूनतम मात्रा में ावश्यक स्वच्छ जल उपलब्ध नही हो ।

जिन बसाहटों में स्वच्छ पेयजल साफ प्रदाय (निजी अथ्वा सार्वजनिक) मैदानी क्षेत्रो में 1.6 किलो मीटर की परिधि के अंतर्गत और पहाडी क्षेत्रों में 100 मीटर के उॅचाई के अंतर्गत अवस्थित हो किन्तु स्त्रोत की क्षमता 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से 40लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बीच की मात्रा के प्रदाय की हो तो एसी बसाहठों को आशिक रूप से आच्छादित बसाहटों की श्रेणी में रखा जायेगा तथापि इन बसाहटों को जल गुणवत्ता मापदण्डों के आधार पर सुरक्षित स्त्रोत की बसाहटें माना जायेगा ।शेष सभी बसाहटों को पूर्णतः (कवर की गई) बसाहटें माना जायेगा

प्रदेश की सभी पूर्ण एंव आंशिक पूर्ण ग्रामीण बसाहटों में वर्तमान मापदण्ड 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय की एंव व्दारा प्राप्त करनें के पश्चात् मापदण्ड में 0.5 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय की छूट ऐसी बसाहटों में जिनमें स्त्रोत 0.5 किलो मीटर समतल स्थल पर तथा 50मीटर उपर पहाडी स्थर पर होगें दी जा सकेगी

उपरोक्त छूट इस दशा में दी जावेगी कि लाभान्वितों द्वारा योजना की कुल अनावर्ती लागत का एक भाग वहन करेंगें (जो योजना लागत का 10 प्रतिशत से कम नही होगा) तथा योजना पूर्ण होने के पचाशत् योजना के संचालन एंव संधारण का पूर्ण दायित्व वहन करेगें । जल गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों की योजना अथवा सामूहिक ग्रामों कि जल प्रदाय योजनाओं , जिन की कुल अनावर्ती लागत बहुत अधिक होती है ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन शासकिय विभाग द्वारा किया जावें ।तथा प्रत्येक ग्रामों की परिधि तक शासन द्वारा जलप्रदाय उपलब्ध कराया जावें। ग्राम के अन्दर पेयजल वितरण प्रणाली के लिए लाभान्वितों द्वारा अनावर्ती लागत न्यूनतम 10 प्रतिशत भागीदारी होगी तथा उन्हें भविष्य में जल वितरण प्रणाली के संचालन तथा संधारण का पूर्ण उत्तर दायित्व वहन करना होगा । ऐसी स्थिति में शासकीय विभाग/निगम द्वारा ग्राम तक मुख्य जल प्रदाय का संधारन किया जायेगा। विभाग/निगम पीने योग्य पानी के बवल प्रदाय प्रदाय का शुल्क पंचायतों/ग्राम समिति से वसुल कर सकते है।ये जल शुल्क तथा संचालन एवं संधारन की लागत पूर्णत : उपयोगकर्ता/संबंधित लाभान्वितों द्वारा वहन किया जावेंगे।

सुरक्षित स्रोत विहीन बसाहटों में कार्य की प्राथमिकता

प्राथमिकताएं निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं:–

1. असुरक्षित स्त्रोत वाली बसाहटों की योजना के लिए प्राथमिकता विशेष रूप से अनु.जाति /अनु.जनजाति वाली बसाहटों अथवा 1994 का स्टटेरा रिपोर्ट/सर्वेक्षण और 96–97में पुनसर्वेक्षण में ज्ञात की गई अधिक अनु.जाति /अनु. जनजाति जनसंख्या वाली बसाहटों को दी जाना हैं।
2. गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें , अत्यधिक, विषावक्ता (टॉविससिटी) वाली बसाहटों भी अन्य की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाना हैं।
3. सुरक्षित स्त्रोत वाली बसाहटें –जिनमें 40लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम पानी उपलब्ध है , उनमें योंजनाएं कार्यान्वित कर जल प्रदाय स्तर 40लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के स्तर तक बढानें की योंजनाओं की प्राथमिकता ।
4. स्कूलों एंव आगंनवाडियों की योंजनाएं , जिनमें दसवें वित्त आयोग द्वारा आंवटित राशि के अंतर्गत पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नही कराएं जा सकें है।

ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं का कियान्वयन :–

ग्रामीण बसाहटों में पेयजल आपूर्ति के लिए प्रदेश में सामान्यतः हैण्डपंप योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं किन्तु बडें ग्रामों में अथवा ऐसे ग्रामों में जहॉ स्थानीय रू‌प से सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नही हो सकें एंव दूरी से पानी लाया जाना आवश्यक हो , वहॉ नलजल प्रदाय योजनाएं कार्यान्वित की जाती है। जिनकें संचालन संधारण का उत्तरदायित्व स्थानिय ग्राम पंचायतों का होता है। जिन ग्रामों में नलकूपों में अधिक गहराई पर पानी उपलब्ध हो वहां भी नलकूप में पावर पंप स्थापित कर स्थल जल योंजनाएं (स्पॉट सोर्स योजना)

कार्यक्रम एंव लाभान्वित होने वाले हितगाही ।

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पेयजल स्वच्छता एंव पर्यावरण के बीच में विभाग वित्तिय सहायता प्राप्त,केंदिय योजनाऐं एवंराज्य शासन की योजनाओं का कियान्वयन करता है जिससे समाज के सभी वर्गों (ग्रमिण एवं नगरीय) लाभान्नित होते है। मुख्य कार्यकम इस प्रकार है :–

1. **केन्द्रीय गतिवर्धित शहरीय कार्यकम :**

केंन्द्र शासन की सहायता से वर्ष1991की जनसंख्या के आधार,20000से कम जनसंख्या वाले शहरों में निधरीत माप दण्ड अनुसार केंन्दीय शासन 50 प्रतिशत अनुदान,राज्य शासन 45प्रतिशत अनुदान तथा स्थानीय निकार्यों द्वारा जन सहयोग 5प्रतिशत,की परियोंजना लागत में हिस्सेदारी सें कियान्वित की जाती है। योजनाओं का संचालन एवं संधरण स्थानिय निकायों द्वारा किया जाता है ।

1. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यकम :–**

केंन्दीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश की मुख्य एवं प्रदूषित नदीयों के प्रदूषण नियंत्रन हेतु नगरो से निकले,प्रदूषित कराने वाले गंदे नालो का अवरोधन तथा दिशा परिवर्तन,गदे पानी का शुध्दिकरण के कार्य,प्रमुख रुप से लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग द्वारा किये जाते है। इस कार्याकम में योजनाओं का निर्माण हेतु शत प्रतिशत राशि केंद्र शासन द्वारा दी जाती हैं तथा इसका संचालन एंव संधारण का पूर्ण दात्यिव राज्य शासन का हैं।

उपरोक्त दोंनों योजनाएं केंद्र शासन की हैं जिनकें संबंध में विस्तृत जानकारी कंमशः शहरीय विकास मंत्रालय तथा वन एंव पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त की जा सकती है ।

बिन्दू क्रमाक 12

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार , स्वच्छ एंव सुरक्षित जल आपूर्ति के उद्देश्य से ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है। मूल रूप से भारत सरकार के राजीव गॉधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के सिद्वातो एंव नितियों के अनुसार ही प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में जल प्रदाय योजनाएं कियान्वित कि जा रही है ।

कार्यक्रम तीन अलग–अलग परन्तु परस्पर संम्बद्ध मुद्दों पर केंद्रित हैं :–

' आच्छादित (कवर) नही की गई बसाहटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध . . . करानें के कार्य में तेजी लाना

'' स्वच्छ पेयजल प्रणाली के स्थायित्व को बढावा देना ।

' जल गुणवत्ता निगरानी एंव जॉच प्रणाली को संस्थापरक बनाना ।

' जल गुणवत्ता से प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था ।

ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र शासन के मार्गदर्शी सिद्धातों के आधार पर ग्रम के स्थान पर स्वतंत्र बसाहटों को इकाई माना गया है। जिनके लिए योजनाएं कियान्वित कि जाती है।